पंजी. क्र. 8/25125/1993

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

Akhil Bhartiya Rashtriya Shaikshik Mahasangh

ABRSM

केन्द्रीय कार्यालय : शैक्षिक महासंघ सदन, 606/13, कृष्णा गली नं. 9, मौजपुर, दिल्ली-110053

दूरभाष : 011-22914799, 09868711893, 09414040403

E-mail : abrsmdelhi@gmail.com, abrsmdelhi@rediffmail.com, Website: www.abrsm.in

संरक्षक - प्रो. के. नरहरि (080) 23324503, 23325743, 09880695357

अध्यक्ष: [illegible] (0141) [illegible]
महामंत्री: [illegible] (0141) [illegible]
अति. महामंत्री: [illegible] [illegible]
संगठन मंत्री: [illegible] [illegible], 09414040403
सह संगठन मंत्री: [illegible] [illegible]

उपाध्यक्ष
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

सचिव
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

संयुक्त सचिव
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

कोषाध्यक्ष
[illegible]

आंतरिक अंकेक्षक
[illegible]

उच्च शिक्षा संवर्ग प्रभारी
[illegible]

प्रकाशन प्रकोष्ठ प्रमुख
[illegible]

प्रशिक्षण प्रकोष्ठ प्रमुख
[illegible]

मीडिया प्रकोष्ठ प्रमुख
[illegible]

शैक्षिक प्रकोष्ठ प्रमुख
[illegible]

आयाम प्रमुख

शिक्षक सम्मान
[illegible]

समर्थ भारत
[illegible]

पत्रांक: महा. 4/विक्रम संवत 2072 दिनांक: 8.5.2015

माननीया श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी
मानव संसाधन विकास मंत्री
भारत सरकार, नई दिल्ली

विषय : महासंघ की शासन से अपेक्षाएँ

महोदया,

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ आपसे अनुरोध करता है कि निम्नलिखित विषयों पर शिक्षा हित में विचार कर आवश्यक कार्यवाही कर अनुग्रहीत करें –

1. **राष्ट्रीय अस्मिता, भारतीय जीवन मूल्यों, मानव एवं चरित्र निर्माण, सामाजिक सरोकार, मौलिक चिन्तन, शोध एवं नवाचार से युक्त सम्पूर्ण शिक्षा पद्धति की पुनःसंरचना की जाये।**

   वर्तमान शिक्षा व्यवस्था सूचना सम्प्रेषण तक सीमित होती जा रही है। शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य मानव एवं चरित्र निर्माण की दृष्टि से शिक्षा हाशिए पर चली गई है। उत्सुकता, समीक्षा, आलोचना, दृष्टि, कल्पना, मौलिक चिन्तन, नवाचार, अनुसंधान, राष्ट्रीय अस्मिता, सांस्कृतिक मूल्यों एवं सामाजिक सरोकार की दृष्टि से शिक्षा बिलकुल खोखली प्रतीत होती है। मानव निर्माण के लिए शिक्षा में राष्ट्रीय अस्मिता, भारतीय जीवन मूल्यों, सामाजिक निर्माण, मौलिक चिन्तन, शोध एवं नवाचार से ओत-प्रोत शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करना आज की अहम् आवश्यकता है।

2. **शिक्षा व्यवस्था के नियोजन, नियमन एवं नियन्त्रण के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा शिक्षाविदों से युक्त स्वतन्त्र एवं स्वायत्त नियामक शिक्षा आयोग का निर्माण हो।**

   पिछले वर्षों में निजी शिक्षण संस्थानों की बाढ़ सी आई है। नियमन एवं नियन्त्रण की लचर व्यवस्था के कारण सैंकड़ों विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों ने शिक्षा को धन कमाने का व्यवसाय बना लिया है। इन शिक्षण संस्थाओं का शिक्षा से कोई गंभीर सरोकार नहीं है और शिक्षार्थी एवं अभिभावक पूर्ण रूप से निराश एवं असहाय हैं। शिक्षा संस्थाओं के प्रारम्भ, संचालन, शुल्क का ढांचा, पाठ्यक्रम, वेतन निर्धारण, फैकल्टी चयन आदि या तो निजी प्रबन्धन की मनमानी का शिकार हैं या केन्द्र एवं राज्य सरकारों के अधिकार में। शिक्षा को बचाने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा शिक्षाविदों से युक्त स्वतन्त्र एवं स्वायत्त नियामक आयोग का निर्माण किया जाना आवश्यक है जिससे कि सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था को नियमित एवं नियन्त्रित किया जा सके।

पंजी. क्र. S/25125/1993

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

Akhil Bhartiya Rashtriya Shaikshik Mahasangh

केन्द्रीय कार्यालय : शैक्षिक महासंघ सदन, 606/13, कृष्णा गली नं. 9, मौजपुर, दिल्ली-110053

दूरभाष : 011-22914799, 09868711893, 09414040403

E-mail : abrsmdelhi@gmail.com, abrsmdelhi@rediffmail.com, Website: www.abrsm.in

ABRSM

संरक्षक - प्रो. जे. [illegible] (080) 23324503, 23325743, 09880695357

अध्यक्ष	महामंत्री	अति. महामंत्री	संगठन मंत्री	सह संगठन मंत्री
डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल	प्रो. [illegible]	[illegible]	महेन्द्र कपूर	ओमपाल सिंह
(0141) [illegible]	(0141) 2503159, [illegible]	(0824) 2478141, [illegible]	[illegible], 09414040403	(0522) [illegible]

उपाध्यक्ष
[illegible]
[illegible]
[illegible]
(0657) [illegible]
[illegible]

सचिव
[illegible]
(080) [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] (गुजरात)

संयुक्त सचिव
[illegible] (दिल्ली)
[illegible]
[illegible] (तेलंगाना)
[illegible] (दिल्ली)

कोषाध्यक्ष
[illegible]

आंतरिक अंकेक्षक
[illegible]

उच्च शिक्षा संवर्ग प्रभारी
[illegible]

प्रकाशन प्रकोष्ठ प्रमुख
[illegible]

प्रशिक्षण प्रकोष्ठ प्रमुख
[illegible]
(080) [illegible]

मीडिया प्रकोष्ठ प्रमुख
[illegible]

शैक्षिक प्रकोष्ठ प्रमुख
[illegible]

आयाम प्रमुख

शिक्षक सम्मान
[illegible] (दिल्ली)

समर्थ भारत
[illegible]

पत्रांक: दिनांक:

3. **सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) का 10 प्रतिशत केन्द्र सरकार तथा राज्य अपने बजट का 30 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय सुनिश्चित करे ताकि आधारभूत सुविधाएँ जैसे शिक्षक, पुस्तकें, भवन, खेल के मैदान आदि उपलब्ध हो सकें।**

स्वतन्त्रता प्राप्ति के 67 वर्ष पश्चात् भी शिक्षा शिक्षकों, पुस्तकों, भवनों, खेल के मैदानों को तरस रही है। उभरती हुई अर्थव्यवस्था के बावजूद केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा सकल घरेलू आय का 04 प्रतिशत से कम शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है। इससे हजारों लोग ज्ञान अर्जन से वंचित हो रहे हैं और शोध, अनुसंधान एवं नवाचार बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता तार-तार होती दिख रही है और सम्पूर्ण जगत को ज्ञान देने वाले भारत के विद्यार्थियों की स्थिति आज संसार के आखिरी कुछ देशों में की जा रही है। स्थिति में सुधार के लिये देश की सकल राष्ट्रीय आय का 10 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाना अतिआवश्यक है।

4. **सम्पूर्ण देश में शिक्षा की स्वायत्तता को बहाल किया जाये एवं शिक्षा सम्बन्धी सभी निर्णयों में शिक्षकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाये तथा राजनीतिक एवं प्रशासनिक हस्तक्षेप बंद हो।**

आज शिक्षा राजनीतिक एवं प्रशासकीय हस्तक्षेप से त्रस्त है और सभी शैक्षणिक निर्णयों में इन्हीं का एकाधिकार है। यहां तक कि आजकल तो पाठ्यक्रमों का निर्धारण भी सरकार करने लगी है। शिक्षा की स्वायत्तता को बहाल करने के लिए इसे पूर्ण रूप से सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त करना होगा। सभी शैक्षणिक निर्णयों में शिक्षकों की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करना होगा और शिक्षा व्यवस्था में प्रजातंत्रीय व्यवस्था को स्वीकार करना होगा।

5. **निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के प्रावधानों को सुसंगत एवं व्यावहारिक बनाया जाये तथा उनकी पालना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संसाधन एवं सुविधाएं प्रदान की जाये।**

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून का हम स्वागत करते हैं लेकिन इसमें कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें व्यावहारिक एवं सुसंगत बनाने की आवश्यकता है। आठवीं तक किसी विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण न करने के निर्णय, समग्र मूल्यांकन के अन्तर्गत शिक्षकों को औपचारिकताओं को पूर्ण करने में समय व्यतीत करने, अधिनियम के सफल क्रियान्वयन के लिए आधारभूत सुविधाओं की कमी के बिन्दुओं पर समग्र रूप से विचार करने की आवश्यकता है। इस कानून को व्यावहारिक बनाने के लिए इसके कुछ प्रावधानों पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है।

6. **प्राथमिक शिक्षा, मातृभाषा में ही दी जाये।**

बच्चा अपनी मातृभाषा में अधिक आसानी से सीखता है और इससे उसकी सृजन करने की शक्ति में वृद्धि होती है, अतः प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही दी जाये।

पंजी. क्र. 8/25125/1993

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

Akhil Bhartiya Rashtriya Shaikshik Mahasangh

ABRSM

केन्द्रीय कार्यालय : शैक्षिक महासंघ सदन, 606/13, कृष्णा गली नं. 9, मौजपुर, दिल्ली-110053

दूरभाष : 011-22914799, 09868711893, 09414040403

E-mail : [illegible], Website: [illegible]

संरक्षक - प्रो. [illegible] (080) 23324503, 23325743, 09880595357

अध्यक्ष [illegible] | महामंत्री [illegible] (0141) 2503159, [illegible] | अति. महामंत्री [illegible] | संगठन मंत्री [illegible] | सह संगठन मंत्री [illegible]

उपाध्यक्ष [illegible]

सचिव [illegible]

संयुक्त सचिव [illegible]

कोषाध्यक्ष [illegible]

आंतरिक अंकेक्षक [illegible]

उच्च शिक्षा संवर्ग प्रभारी [illegible]

प्रकाशन प्रकोष्ठ प्रमुख [illegible]

प्रशिक्षण प्रकोष्ठ प्रमुख [illegible]

मीडिया प्रकोष्ठ प्रमुख [illegible]

शैक्षिक प्रकोष्ठ प्रमुख [illegible]

आयाम प्रमुख

शिक्षक सम्मान [illegible]

समर्थ भारत [illegible]

पत्रांक: दिनांक:

7. **देश के सभी महाविद्यालयों में विभिन्न शिक्षक पदों का नामकरण एक समान यू.जी.सी. की अनुशंसा के अनुरूप सहायक प्रोफेसर, एसोसियेट प्रोफेसर तथा प्रोफेसर के रूप में किया जाये।**

यू.जी.सी. द्वारा शिक्षा पर समग्र रूप से विचार करते हुए सम्पूर्ण देश में एक समान पदनामों के अपनाने की अनुशंसा इस अपेक्षा से की थी जिससे अलग-अलग नामों से जाने वाले शिक्षकों के पदनाम में एकरूपता लायी जा सके। पदनाम बदलने के निर्णय से सरकार पर किसी भी प्रकार का वित्तीय भार नहीं आयेगा और इससे उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार भी होगा। महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर, एसोसियेट प्रोफेसर तथा प्रोफेसर के पदनाम देने से न केवल पदों की भ्रान्ति दूर होगी बल्कि सम्पूर्ण देश में पदनामों में एकरूपता भी आयेगी।

8. **अनुदानित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों को वेतन भुगतान की कोषागार भुगतान व्यवस्था हो।**

अनुदानित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में वेतन भुगतान में अनेक विसंगतियां पनपी हैं और इनके कारण अनेक शिक्षण संस्थान शिक्षकों का शोषण करने से नहीं हिचकते हैं। सभी शिक्षकों को वेतन का पूर्ण एवं नियमित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए वेतन के भुगतान की कोषागार व्यवस्था किया जाना श्रेयस्कर रहेगा।

9. **शिक्षा के बाजारीकरण पर नियन्त्रण सुनिश्चित हो।**

शिक्षा के बाजारीकरण के दुष्परिणाम अब देश में दिखने लगे हैं। आज शिक्षण संस्थाऐं डिग्री एवं सर्टीफिकेट बांटने वाली संस्थान बनती जा रही हैं। इनके नियमन एवं नियन्त्रण की ऐसी व्यवस्था हो जिससे शिक्षा व्यापार का विषय न बने। शिक्षा व्यवस्था के नियोजन एवं नियंत्रण में केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा शिक्षाविदों से युक्त स्वतंत्र व स्वायत्त नियामक शिक्षा आयोग उपयोगी भूमिका निभा सकता है।

10. **सम्पूर्ण देश में एक समान राष्ट्रीय वेतनमान नीति लागू की जाये और सम्पूर्ण देश में समान सेवाशर्तें एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की जाये।**

देश के भिन्न-भिन्न राज्यों में शिक्षकों के वेतनमानों एवं सेवा शर्तों में अनेक प्रकार की विसंगतियां हैं। इनके वेतनमान भिन्न-भिन्न हैं और सेवा शर्तों में अनेक प्रकार की भिन्नताएं हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धान्त का पालन करते हुए सम्पूर्ण देश में शिक्षकों के लिए समान वेतनमान नीति लागू किये जाने की आवश्यकता है। इससे संपूर्ण देश में समान वेतनमान, सेवाशर्तों एवं सुविधाओं की पालना सुनिश्चित की जा सकेगी।

11. **देश के सभी राज्यों एवं केन्द्र में प्राथमिक, माध्यमिक, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय शिक्षकों के लाखों पद रिक्त हैं। सम्बन्धित सरकारें वेतनमानों के आर्थिक भार से बचने के उद्देश्य से विद्यार्थी मित्र, पैराटीचर, संविदा शिक्षक, अतिथि शिक्षक, प्रबोधक, शिक्षामित्र, अंशकालीन**

पंजी. क्र. S/25125/1993

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

Akhil Bhartiya Rashtriya Shaikshik Mahasangh

ABRSM

केन्द्रीय कार्यालय : शैक्षिक महासंघ सदन, 606/13, कृष्णा गली नं. 9, मौजपुर, दिल्ली-110053

दूरभाष : 011-22914799, 09868711893, 09414040403

E-mail : abrsmdelhi@gmail.com, abrsmdelhi@rediffmail.com, Website: www.abrsm.in

संरक्षक - प्रो. के. नरहरि (080) 23324503, 23325743, 09880695357

अध्यक्ष | महामंत्री | अति. महामंत्री | संगठन मंत्री | सह संगठन मंत्री

उपाध्यक्ष

सचिव

संयुक्त सचिव

कोषाध्यक्ष

आंतरिक अंकेक्षक

उच्च शिक्षा संवर्ग प्रभारी

प्रकाशन प्रकोष्ठ प्रमुख

प्रशिक्षण प्रकोष्ठ प्रमुख

मीडिया प्रकोष्ठ प्रमुख

शैक्षिक प्रकोष्ठ प्रमुख

आयाम प्रमुख

शिक्षक सम्मान

समर्थ भारत

पत्रांक: दिनांक:

शिक्षक आदि नामों से अस्थायी व्यवस्था कर रही है। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए इस व्यवस्था को तुरन्त समाप्त किया जाये और इसके लिए शिक्षक-शिक्षार्थी अनुपात को सुधारकर 1:30 किया जाये तथा सभी विषयों के अध्यापकों एवं प्राध्यापकों की नियमित एवं स्थायी नियुक्ति की जाये और शिक्षकों के प्रशिक्षण की सुदृढ़ व्यवस्था हो।

आज लाखों पद पूरे देश में रिक्त पड़े हुए हैं और इनके स्थान पर अस्थायी व्यवस्था के आधार पर काम चलाया जा रहा है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता का ह्रास तो हो ही रहा है, परन्तु शिक्षा का सम्पूर्ण ढांचा ही चरमरा गया है। कामचलाऊ व्यवस्था के स्थान पर शिक्षकों की नियमित एवं स्थायी नियुक्ति की आवश्यकता है। शिक्षा में गुणवत्ता के लिए सभी स्तरों पर शिक्षकों के प्रशिक्षण की ऐसी व्यवस्था हो जिससे शिक्षक शिक्षार्थी के सम्पूर्ण विकास में सकारात्मक योगदान कर सके एवं नवीनतम ज्ञान से उनका परिमार्जन कर सके।

12. **सम्पूर्ण देश में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु एक समान 65 वर्ष की जाय।**

देश के विभिन्न राज्यों में विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु अलग-अलग है। राजस्थान में 60 वर्ष केरल में 55 वर्ष, उड़ीसा में 58 वर्ष, उत्तर प्रदेश में 62 वर्ष, बिहार में 65 वर्ष और केन्द्र सरकार में 65 वर्ष है। शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों की कमी की स्थिति से निपटने, उनके अनुभव का लाभ उठाने एवं शिक्षा के कैरियर को अधिक आकर्षक बनाने की दृष्टि से सम्पूर्ण देश में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु एक समान 65 वर्ष की जानी चाहिए। जीवन प्रत्याशा में अनवरत वृद्धि तथा शिक्षा सेवा में प्रवेश की आयु में हो रही वृद्धि के कारण सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करना न्यायोचित होगा।

13. **1 जनवरी 2004 से पूर्व की पेंशन योजना सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में बहाल की जाये।**

नवीन पेंशन योजना एक प्रतिगामी कदम है। इसके स्थान पर 1 जनवरी 2004 से पूर्व की पेंशन योजना को सभी शिक्षकों के लिए बहाल किया जाये ताकि भारत के कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को सही साबित किया जा सके।

14. **सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को समुचित चिकित्सा सुविधा के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य कार्ड की सुविधा प्रदत्त की जाये एवं उसका प्रभावी क्रियान्वयन हो।**

उचित चिकित्सा सुविधा मुहैय्या कराया जाना शिक्षकों की क्षमता में अभिवृद्धि करेगा, अतः सभी शिक्षकों के लिए समुचित चिकित्सा सुविधा की कारगर एवं व्यावहारिक व्यवस्था की जानी चाहिए।

15. **विद्यार्थी मित्र, पैरा टीचर, संविदा शिक्षक, अतिथि शिक्षक, प्रबोधक, शिक्षा मित्र, अंशकालिक शिक्षक, शिक्षाकर्मी आदि नामों से कार्य करने वाले शिक्षकों को न्यूनतम**

पंजी. क्र. 8/25125/1993

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

Akhil Bhartiya Rashtriya Shaikshik Mahasangh

ABRSM

केन्द्रीय कार्यालय : शैक्षिक महासंघ सदन, 606/13, कृष्णा गली नं. 9, मौजपुर, दिल्ली-110053

दूरभाष : 011-22914799, 09868711893, 09414040403

E-mail : abrsmdelhi@gmail.com, abrsmdelhi@rediffmail.com, Website: www.abrsm.in

संरक्षक - प्रो. के. नरहरि (080) 23324503, 23325743, 09880695357

अध्यक्ष	महामंत्री	अति. महामंत्री	संगठन मंत्री	सह संगठन मंत्री
[illegible]	प्रो. जगदीश प्रसाद सिंघल	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(0141) [illegible]	(0141) 2503159, [illegible]	(0824) 2478141, [illegible]	[illegible]	(0522) [illegible]

उपाध्यक्ष
[illegible]
[illegible]
सचिव
[illegible]
संयुक्त सचिव
[illegible]
कोषाध्यक्ष
[illegible]
आंतरिक अंकेक्षक
[illegible]
उच्च शिक्षा संवर्ग प्रभारी
[illegible]
प्रकाशन प्रकोष्ठ प्रमुख
[illegible]
प्रशिक्षण प्रकोष्ठ प्रमुख
[illegible]
मीडिया प्रकोष्ठ प्रमुख
[illegible]
शैक्षिक प्रकोष्ठ प्रमुख
[illegible]
आयाम प्रमुख
शिक्षक सम्मान
[illegible]
समर्थ भारत
[illegible]

पत्रांक: दिनांक:

वेतन एवं सेवाशर्तों का अविलम्ब निर्धारण कर उनका पालन सुनिश्चित किया जाये।

अनेक नामों से जाने-जाने वाले अस्थायी शिक्षक अल्प वेतन एवं नाम-मात्र की सुविधाओं के आधार पर कार्य कर रहे हैं जिन्हें जीवन-यापन करना भी सम्भव नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा वे नियोक्ता के शोषण के शिकार भी हो रहे हैं। जब तक इनके स्थान पर नियमित एवं स्थायी नियुक्ति हो तब तक इन्हें एक आधारभूत वेतनमान एवं सेवाशर्तें सुनिश्चित करने की व्यवस्था करनी होगी जिससे वे समाज में सम्मान से रह सकें।

16. **पीएच.डी. 2009 नियमों के लागू होने के पूर्व पीएच.डी. हेतु पंजीकरण कराने वाले एवं पीएच.डी. धारकों का नवीन नियमों से मुक्त रखा जावे।**

    चूंकि किसी भी प्रकार के नियमों को पूर्वव्यापी समय से प्रभावित करना न तो न्यायसंगत है और न ही व्यावहारिक। इन नियमों के प्रभावी होने की तिथि से पूर्व के पीएच.डी. धारकों को तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पूर्व में ही इन नियमों से छूट देने की अनुशंसा कर चुका है, जिन्हें मानव संसाधन मंत्रालय ने अस्वीकार कर दिया था। इन नियमों से मुक्त करने से हजारों पीएच.डी. धारकों एवं पीएच.डी. करने वालों को लाभ मिलेगा।

17. **शोध के प्रोत्साहन के लिए शोध प्रोत्साहन योजना सम्पूर्ण देश में शिक्षा के सभी स्तरों पर समान रूप से लागू की जावे।**

18. **विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में महाविद्यालय प्राचार्य का कार्यकाल 5 वर्ष तक सीमित नहीं किया जाकर सेवानिवृत्ति आयु प्राप्त करने तक रखा जावे।**

    विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा महाविद्यालयों के प्राचार्यों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए सीमित कर दिया है। यह न तो व्यावहारिक है और न ही न्यायोचित। क्योंकि प्राचार्य का पद चयनित पद है और उनका पूर्व पद पर कोई लियन भी नहीं रहता। अतः 5 वर्ष की समाप्ति के बाद उनका भविष्य अनिश्चित न रहे इसलिए इन नियमों में परिवर्तन कर इनका कार्यकाल सेवानिवृत्ति आयु प्राप्त करने तक करना न्याय संगत रहेगा।

सादर।

भवदीय

[illegible]

(जगदीश प्रसाद सिंघल)
महामंत्री